Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

सतना जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का ग्रामीण की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. रचना श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र विभाग)
शा.कन्या महाविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश)

श्रीमती विनीता सिंह
शोध छात्रा (समाजशास्त्र विभाग)
शा.कन्या महाविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश)

Artic Info
Volume 5, Issue 3
Page Number : 83-102

Publication Issue :
May-June-2022

Article History
Accepted : 01 May 2022
Published : 10 May 2022

शोधसारांश– महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लागू होने के साथ ही देश में काफी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे थे। सर्वप्रथम तो इसने रोजगार प्राप्त करने के मानवीय अधिकार को वैधानिक दर्जा प्रदान कर लोगों को जागरूक करने का काम किया तथा इस अधिनियम ने ग्रामीण बेरोजगारों को यह समझाया है कि रोजगार का अधिकार उनके जीवन के अधिकार में सन्निहित है। मनरेगा अपने प्रारम्भ की तिथि से ही ग्रामीण जन–जीवन को प्रभावित करने लगा है। देश, प्रदेश तथा जिले में काफी मात्रा में प्रभाव दिखायी पड़ रहा है। जब हम प्रभाव की बात करते है तो इससे तात्पर्य होता है कि लक्षित समूह के जीवन के प्रत्येक पहलू को इसने छुआ है तथा अंशतः ही सही किन्तु परिवर्तन अनिवार्यतः हुआ हो। मनरेगा ने ग्रामीणों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है, अंतर केवल मात्रात्मक है। हम साक्षरता दर को देखे, विवाह की आयु में आया परिवर्तन, महिला प्रस्थिति, गाँव से होने वाले पलायन की स्थिति हो या लोगों के क्रय शक्ति की बात हो सभी क्षेत्रों में मनरेगा ने ग्रामीणों को प्रभावित किया है। सतना जिले की सामाजिक व्यवस्था, जाति आधारित है। यहाँ स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी गाँवों में जाति आधारित उच्चता व निम्नता की भावना व्याप्त है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए इतने कठोर नियम अधिनियम बनाये जाने के बाद भी गाँवों में इसे सामाजिक मान्यता मिली हुई है। ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की प्रमुख संस्थाओं में जाति, संयुक्त परिवार, विवाह आदि में मनरेगा का प्रभाव पड़ने से मुखिया की भूमिका, महिला की प्रस्थिति एवं बाल मजदूरी में काफी प्रभाव पड़ा है। इन सभी क्षेत्रों में पड़ने वाले सम्मिलित

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

प्रभाव को हम सामाजिक स्थिति में पड़ने वाले प्रभाव के रूप में समझेंगे। दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति से तात्पर्य गरीबी बेरोजगारी, क्रय शक्ति, जीवन शैली आदि से है। मनरेगा के क्रियान्वयन से ग्रामीण गरीबों को रोजगार की उपलब्धता हुई, गाँवों में व्याप्त बेरोजगारी में क्या परिवर्तन हुआ, उससे ग्रामीणों की बीपीएल प्रस्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, ग्रामीणों की क्रयशक्ति में वृद्धि का प्रतिशत कितना है। मजदूरी दर एवं मँहगाई की दर में कितनी समानता–असमानता है, का सम्पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात् ही ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति पर मनरेगा का प्रभाव समझा जा सकेगा। प्रस्तुत शोध–पत्र में मनरेगा के द्वारा ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आने से उनकी सामाजिक प्रस्थिति में होने वाले परिवर्तनों का भी विश्लेषण करना है।

पारिभाषिक शब्दः– मनरेगा, रोजगार, अकुषल मजदूर, ग्रामीण, बेरोजगारी, पलायन, बी.पी.एल., बाल मजदूरी रोजगार गारंटी क्रय शक्ति।

प्रस्तावनाः– भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 68.8 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करती है, फलतः कृषि पर बढते जनसंख्या दबाव के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादकता में कमी, बेरोजगारी तथा कुपोषण में वृद्धि जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। इसी कारण संभवतः देश में लाखो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं। सैकड़ो परिवारों को जी तोड़ मेहनत के बावजूद पूरे वर्ष पेटभर रोटी नही मिलती। उस पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़, महामारी सूखा में उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। ऐसे लोगों मे अधिकतर अकुशल मजदूर शामिल है। इन्ही अकुशल मजदूरों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया।

भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में एक ''नया भाग 9 अनुच्छेद, 243 से 243 – O, अनुसूची 11 जोड़ कर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनो को साकार करने के उद्देश्य से ग्राम सभा को स्थानीय स्वसाषी निकाय के रूप में प्रभावी इकाई बनाने पर बल दिया गया इस प्रकार भारत मे ग्रामीण विकास का नया अध्याय प्रारंभ हुआ अब ग्रामीण गरीबी उन्मूलन बेरोजगारी निवारण स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, षिक्षा का विकास आदि के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों, के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मदारी, ग्राम पंचायतों को दी गई केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी कम करने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं मे कई प्रकार की योजनाएं जैसे– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार कार्यक्रम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आदि एवं नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी रणनीति

जैसे– प्रधान मंत्री जन धन योजना, ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि के प्रभावी क्रियान्वयन की जवाबदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई। ग्रामीण गरीबी एवं बेरोजगारी के दुवचक्र को निम्न रूप में समझा जा सकता है।

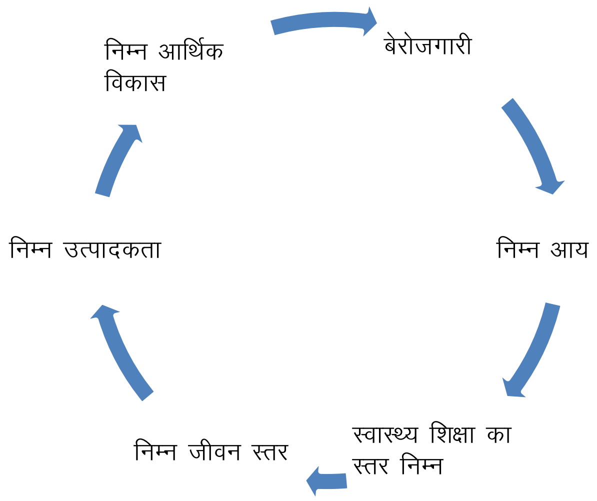

उपरोक्त लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओलॉरेंज द्वारा विकसित करते हुए किसी भी देश के लोगों के बीच आय विषमता को दर्शाने का प्रयास किया गया था। भारत में भी समय–समय में विभिन्न समितियों द्वारा ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी को समझने एवं उन्मूलन हेतु अनुषंसाए की गई है, इसी परिपेक्ष्य में बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए बताया गया कि जब एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर से काम के लिए करने के लिए इच्छुक एवं तैयार रहता है परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता है तो वह बेरोजगार कहलाता है सामान्यतः 15 से 59 के आयु वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से कार्य शील माना जाता है भारत में बेरोजगारी कई रूपों में दिखाई देती है शहरो में औद्योगिक बेरोजगारी एवं गांवो में अदृष्य एवं मौसमी बेरोजगारी ज्यादा दिखाई देती है इसके अतिरिक्त खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी अल्प रोजगार घृण्ड्ात्मक बेरोजगारी, चक्रींय बेरोजगारी भी देखने को मिलती है।

इसी परिप्रेक्ष्य मे भारत सरकार ने 7 सितम्बर, 2005 में संसद द्वारा अधिनियम पारित करके रोजगार के इच्छुक व्यक्ति को 100 दिन का अकुषल रोजगार पाने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम हैं, जो ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष मे 100 दिन का रोजगार या बेरोजगारी भत्ता प्रदान किये जाने की गारंटी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को वित्तीय वर्ष मे बिना कुशलता वाले हस्त कार्य होने वाले कार्यो के लिए निश्चित रोजगार उपलब्ध कराना जिनसे निर्धारित एवं उपयोगी संपत्ती बनाई जा सके, ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के स्त्रोतों को सुश्चित करना, उचित तरीके से सामाजिक समानता को यकीन मे बदलना, पंचायती राज संस्था को मजबूत बनाना है।

मनरेगा का परिचय –

देश में लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे है। सैकड़ों परिवारों को जी–तोड़ मेहनत के बावजूद पूरे साल भरपेट रोटी नहीं मिलती। उस पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी में उनकी हालत बद–से–बदतर हो जाती है। ऐसे लोगों में अधिकतर अकुशल मजदूर शामिल है। इन्हीं अकुशल मजदूरों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हरेक राज्य सरकार को निर्देश देता है कि छह महीने के भीतर एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तैयार करे, जिससे कि रोजगार गारंटी का कार्यान्वयन किया जा सके। इस प्रकार, यह अधिनियम काम की गारंटी को कानूनी आधार प्रदान करता है और यही इस योजना का अर्थ है, जिसके माध्यम से यह गारंटी प्रभाव में आ जाती है। इसकी विशेषता है कि यह अधिनियम एक राष्ट्रीय अधिनियम है और योजना राज्य–विषयक है। इसे सन् 2006–07 में 200 जिलों में लागू किया गया और वर्ष 2007–08 में इसमें 130 और जिले शामिल कर लिये गए तथा वित्त वर्ष 2008–09 से देश के बाकी हिस्सों को भी इसमें शामिल कर लिया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण गरीबों के जीवन से जुड़ा है और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कृतसंकल्प है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मजदूरी रोजगार को बढ़ाना है। इस अधिनियम के अंगर्तत प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाने, सूखा राहत–कार्य, वन–उन्मूलन और मिट्टी के कटाव को रोकने जैसे कार्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास की ओर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। मनरेगा संसार का पहला ऐसा अधिनियम है, जो मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्राप्त कर सकता है। उसकी मजदूरी का भुगतान 15 दिन में हो जाता है। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार वहन करती है। इसमें महिलाओं की 33 प्रतिषत भागीदारी सुनिश्चित की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर, 2005 को अधिसूचित हुआ था और वित्तीय वर्ष 2006–07 में लागू हुआ।

मुख्य उद्देश्य–

मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन अकुशल मजदूरों के लिए प्रति वर्ष 100 दिन की मजदूरी की गारंटी देना है, जो मेहनत–मजदूरी करके अपने परिवार की रोजी–रोटी चलाते है।

लक्ष्य –

- निर्धन ग्रामीणों को रोजगार पाने के लिए कानूनन मजबूत करना।
- समाज के असुरक्षित समूहों के पास रोजगार के वैकल्पित स्रोत न होने की स्थिति में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराना।

- प्रजातंत्र को ग्राम–स्तर से ही मजबूत करना तथा शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- ऐसे कार्य करना, जिनके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन सुदृढ़ हो, जो कि सूखा, वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव जैसे अवांछित कारणों को दूर करते हैं और सतत् विकास को प्रोत्साहन देते हैं।

सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रामीणों को बेरोजगारी का अर्थ पता है या नहीं तथा गरीबी व बेरोजगारी के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है?
इस हेतु निम्नलिखित तालिका का अध्ययन किया जा सकता है।

तालिका क्रमांक 5.1

बेरोजगारी के अर्थ से संबंधित ज्ञान की स्थिति

क्र.	**बेरोजगारी**	**लाभार्थी**		**गैर लाभार्थी**	
		आवृत्ति	**प्रतिषत**	**आवृत्ति**	**प्रतिषत**
1	काम न मिलना	180	**60**	**105**	**35**
2	योग्यतानुसार काम न मिलना	90	**30**	**195**	**65**
3	पता नहीं	30	**10**	**00**	**00**
	योग	300	**100**	**300**	**100**

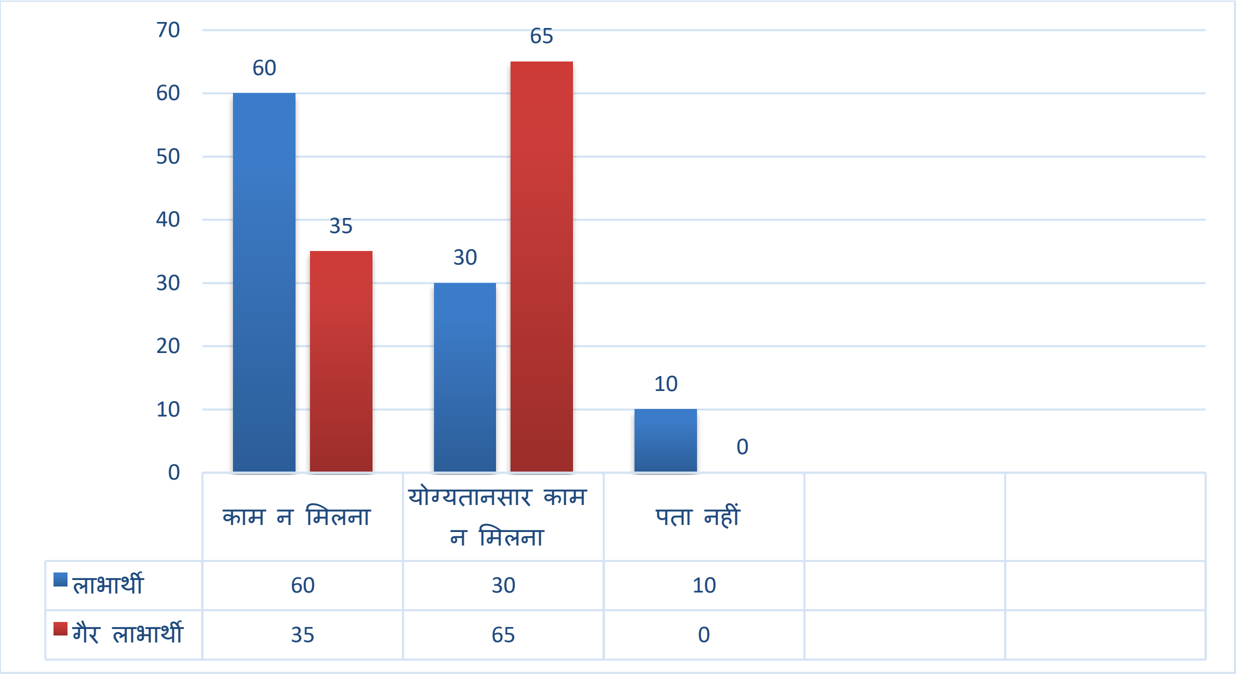

ग्राफ 1 बेरोजगारी के अर्थ से संबंधित ज्ञान की स्थिति

उपरोक्त ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है कि 60 प्रतिशत लाभार्थी तथा 35प्रतिशत गैर लाभार्थी के अनुसार बेरोजगारी का अर्थ काम न मिलना है। 30 प्रतिशत लाभार्थी तथा 65 प्रतिशत गैर लाभार्थी के अनुसार योग्यतानुरूप काम न मिलना ही बेरोजगारी है, वही 10 प्रतिशत लाभार्थियों को बेरोजगारी के अर्थ संबंधी कोई ज्ञान ही नहीं है। उपरोक्त ग्राफ दर्शाता है कि आधे से अधिक लोगों को बेरोजगारी का सही अर्थ ही पता नहीं है तो वे रोजगार के बारे में क्या सही समझ रखेगें।

समाजशास्त्रियों ने बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यदि क्षमता, दक्षता एवं योग्यता के अनुसार इच्छुक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, तो वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। फेयरचाइल्ड के अनुसार ”सामान्य दशाओं तथा सामान्य वेतन–दर पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनैच्छिक रूप से वेतन के काम से अलग कर देने की स्थिति को बेरोजगारी कहते है। जी.आर. मदान के अनुसार, ”उस देश में बेरोजगारी है जहाँ स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता जो काम करना चाहते हैं।” डिमेलो ने ”बेरोजगार व्यक्ति उसी को माना है जो अपनी इच्छा होते हुए भी वेतन–भोगी कार्य नहीं पा सकता।” अन्य शब्दों में बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को जो कार्य करने की इच्छा रखता है प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है।

अब ग्रामीण गरीबों से गरीबी व बेरोजगारी के अंतः संबंध के प्रति उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण करने के लिए शोधार्थी द्वारा निम्न तालिका का अध्ययन किया गया है।

तालिका क्र. 2

गरीबी व बेरोजगारी के अंतः संबंध के प्रति दृष्टिकोण

क्र.	दृष्टिकोण	लाभार्थी		गैर लाभार्थी	
		आवृत्ति	प्रतिषत	आवृत्ति	प्रतिषत
1	अपनी गरीबी का कारण बेरोजगारी को मानते है।	165	**55**	**120**	**40**
2	गरीबी व बेरोजगारी एक दूसरे के पूरक होते है	105	**35**	**96**	**32**
3.	भाग्य में गरीबी है तो क्या करें	12	**04**	**54**	**18**
4	रोजगार के बाद भी गरीबी में परिवर्तन नहीं आया	18	**06**	**30**	**10**
	योग	300	**100**	**300**	**100**

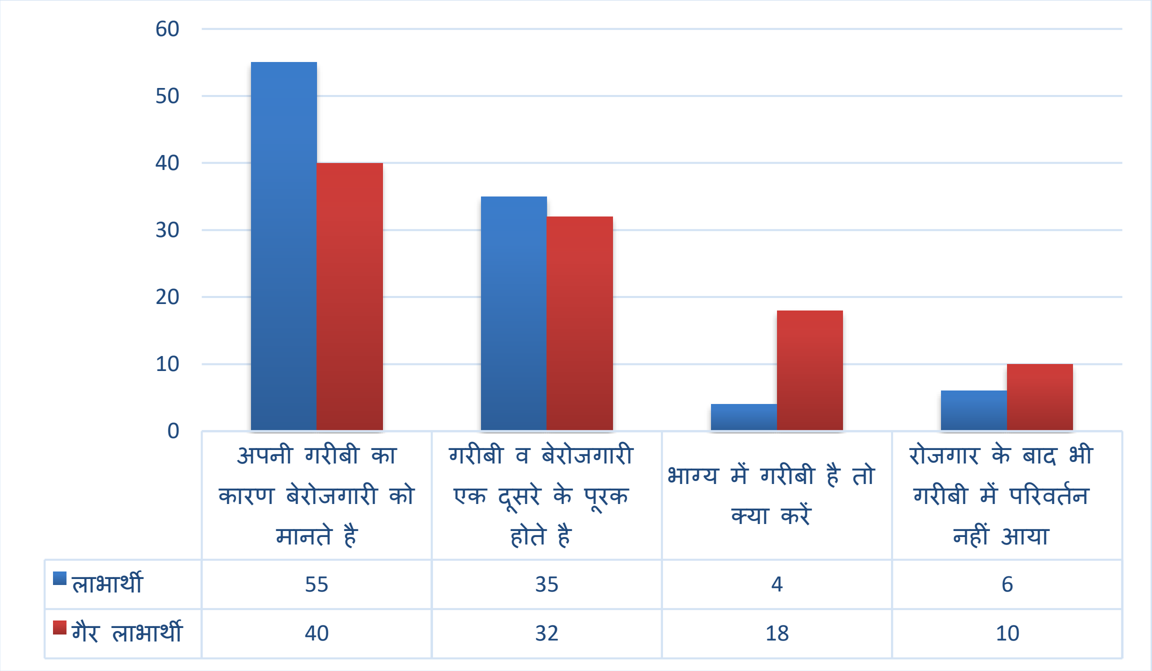

ग्राफ 2 – गरीबी व बेरोजगारी के अंतः संबंध के प्रति दृष्टिकोण

उपरोक्त ग्राफ के अध्ययन से यह पता चलता है कि लगभग आधे से अधिक लोग अपनी गरीबी का कारण बेरोजगारी को मानते है। 35 प्रतिशत लोगों ने गरीबी व बेरोजगारी को एक–दूसरे का पूरक माना है। वहीं 4 प्रतिशत लाभार्थी तथा 18 प्रतिशत गैर लाभार्थियों ने अपनी गरीबी का जिम्मेदार भाग्य को ठहराया है। तथा जब मनरेगा द्वारा प्रदान किए गये रोजगार से उनकी गरीबी में आने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी ली गई तो 6 प्रतिशत लाभार्थी तथा 10 प्रतिशत गैरलाभार्थी लोगों का मानना है कि रोजगार के बाद भी गरीबी में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

मनरेगा से प्राप्त रोजगार के अवसरों से ग्रामीणों की जाति व्यवस्था में आने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण निम्न तालिका से किया जा सकता है:–

तालिका क्र. 5.3

जाति व्यवस्था में पड़ा प्रभाव

क्र.	**तथ्य**	**लाभार्थी**		**गैर लाभार्थी**	
		आवृत्ति	**प्रतिषत**	**आवृत्ति**	**प्रतिषत**
1	जाति व्यवस्था कमजोर हुई	00	**00**	**00**	**00**
2	अस्पृष्यता में कमी हुई	177	**59**	**165**	**55**
3	जाति आधारित कार्य की भावना में कमी आई है।	96	**32**	**114**	**38**
4	कोई विषेष प्रभाव नहीं पड़ा	27	**9**	**21**	**7**
	योग	300	**100**	**250**	**100**

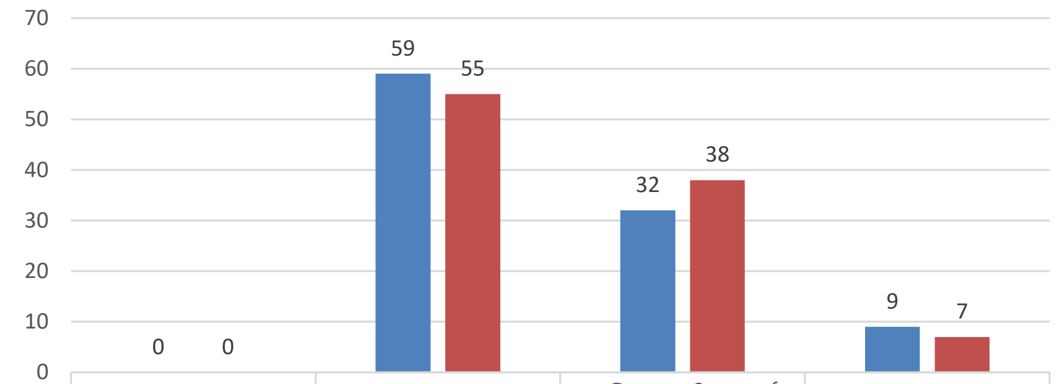

	जाति व्यवस्था कमजोर हुई	अस्पृश्यता में कमी हुई	जाति आधारित कार्य की भावना में कमी आई है	कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा
लाभार्थी	0	59	32	9
गैर लाभार्थी	0	55	38	7

ग्राफ क्रमांक 3 : जाति व्यवस्था में पड़ा प्रभाव

उपरोक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि मनरेगा के अंतर्गत एक ही कार्य क्षेत्र में काम करने से अस्पृश्यता में कमी आई है। 59 प्रतिशत लाभार्थी तथा 55 प्रतिशत गैर लाभार्थियों का यह मत है। इसी तरह 32 प्रतिशत लाभार्थी तथा 38 प्रतिशत गैर लाभार्थी की मान्यता है कि अब गाँवों में इस भावना में थोडी कमी आई है कि जो ढीमर है वही पानी भरेगा या जो बारी है वही बर्तन धोयेगा या दोने–पत्तल का काम करेगा एवं नाई एवं बनिया जाति केवल अपने परम्परागत व्यवसाय ही करेंगे। विश्लेषण से तथ्य निकलकर आता है कि जाति आधारित कार्य की भावना में कमी को एक तिहाई ग्रामीण स्वीकारते है। वही 9 प्रतिशत लाभार्थी तथा 7 प्रतिशत गैर लाभार्थियों का मानना है कि मनरेगा के क्रियान्वयन से गाँवों में जाति व्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा है।

मनरेगा के तहत प्रावधान है कि रोजगार प्रत्येक इच्छुक परिवार के एक वयस्क सदस्य को प्रदान किया जायेगा तथा यहाँ परिवार को परिभाषित करते हुए पति–पत्नी व उनके अविवाहित बच्चों को एक परिवार की संज्ञा दी है। हम जानते है कि गाँवों में सामान्यतः, संयुक्त परिवार पाया जाता है, किन्तु मनरेगा से ग्रामीण संयुक्त परिवारों पर भी प्रभाव पड़ा है।

तालिका क्र. 4

संयुक्त परिवार पर प्रभाव

क्र.	तथ्य	लाभार्थी		गैर लाभार्थी	
		आवृत्ति	प्रतिषत	आवृत्ति	प्रतिषत
1	संयुक्त परिवार पूर्णरूपेण टूट रहे हैं।	117	39	72	24
2	संयुक्त परिवारों में होने वाला विघटन केवल रोजगार प्राप्त करने हेतु है।	168	56	156	52
3	संयुक्त परिवारों के महत्व में कमी आयी है।	12	4	54	18
4	पूर्ववत् स्थिति बनी हुई है	3	1	18	6
	योग	300	100	300	100

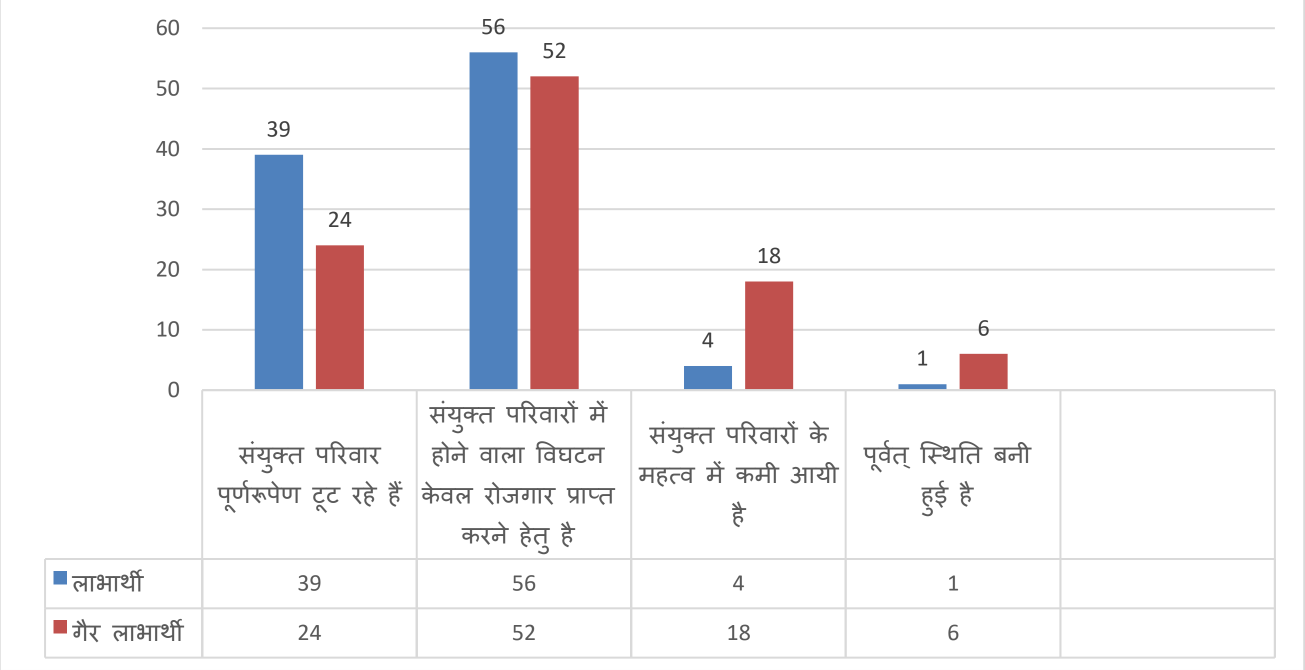

ग्राफ क्रमांक 4 : संयुक्त परिवार पर प्रभाव

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से तथ्य सामने आता है कि ग्रामीणों की संयुक्त परिवार में आस्था बनी हुई है तथा केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए ही वे अपने आप को पृथक इकाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं।

दूसरा पक्ष यह भी दिखा कि 39 प्रतिशत लाभार्थी तथा 24 प्रतिशत गैर लाभार्थियों का मानना है कि गाँवों से संयुक्त परिवार पूर्णरूपेण टूट रहे है तथा 4 प्रतिशत लाभार्थी व 18 प्रतिशत गैरलाभार्थियों का मानना है कि गाँवों में भी अब संयुक्त परिवार का महत्व समाप्तप्रय है।

विवाह की आयु में भी मनरेगा के क्रियान्वयन से प्रभाव पड़ा है जिसके लिए निम्न ग्राफ का अध्ययन किया जा सकता है–

तालिका क्र. 5 विवाह की आयु के प्रभाव

आयु	**लाभार्थी**		**गैर लाभार्थी**	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिषत
15 से कम	00	00	00	00
15–18	00	00	00	00
19–20	120	40	117	39
21 से ज्यादा	180	60	183	61
कुल	300	100	300	100

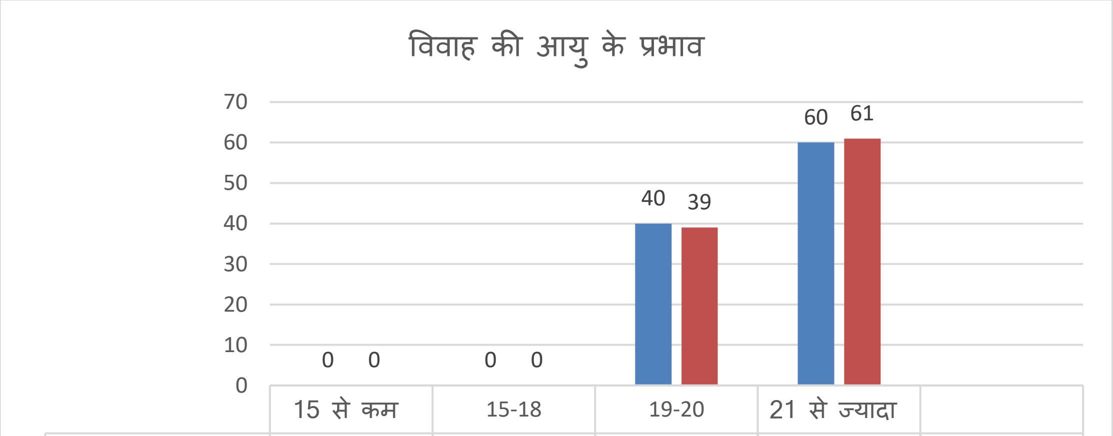

	15 से कम	15-18	19-20	21 से ज्यादा
लाभार्थी प्रतिशत	0	0	40	60
गैर-लाभार्थी प्रतिशत	0	0	39	61

ग्राफ 5 – विवाह की आयु में प्रभाव

उपरोक्त ग्राफ से यह प्रदर्शित होता है कि गाँव में बालक–बालिकाओं के विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके बावजूद भी वर्तमान में केवल 40 प्रतिशत लोगों का मानना है कि विवाह की आयु 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए, की आयु में विवाह करने की बात मानते हैं तथा 60 प्रतिशत लोग मानते है कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही विवाह किया जाना श्रेष्ठतर होता है।

बाल मजदूरी में पड़ने वाला प्रभाव जानने के लिए निम्न तालिका का अध्ययन किया जा सकता है–

तालिका क्र. 6

बाल मजदूरी पर प्रभाव

क्र.	**तथ्य**	**लाभार्थी**		**गैर लाभार्थी**	
		आवृत्ति	**प्रतिषत**	**आवृत्ति**	**प्रतिषत**
1	बाल मजदूरी में कमी आई	240	**80**	**276**	**92**
2	बाल मजदूरी में कमी नहीं आई	60	**20**	**24**	**8**
	योग	300	**100**	**300**	**100**

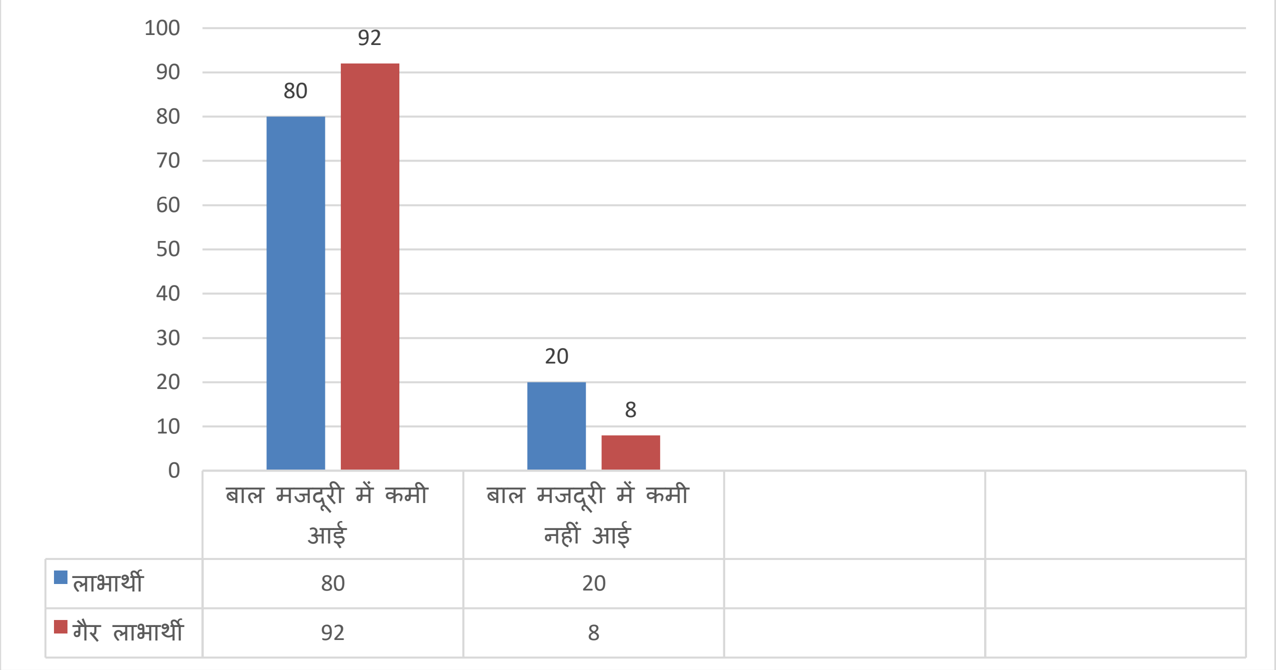

ग्राफ क्रमांक 6 : बाल मजदूरी पर प्रभाव

उपरोक्त ग्राफ से विश्लेषण से तथ्य सामने आता है कि ग्रामों में मनरेगा के तहत केवल वयस्को को रोजगार दिये जाने से 80 प्रतिशत लाभार्थी व 92 प्रतिशत गैर लाभार्थी मानते है कि बाल मजदूरी में कमी आयी है वहीं 20 प्रतिशत लाभार्थी एवं 8 प्रतिशत गैर लाभार्थी का कहना है कि कमी नहीं आयी है।

महिलाओं की प्रस्थिति में पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए निम्न तालिका का गहन अध्ययन किया जाना आवश्यक जान पड़ता है।

तालिका क्र. 7

महिलाओं की प्रस्थिति पर प्रभाव

क्र.	तथ्य	उत्तरदाताओं की	
		संख्या	प्रतिषत
1	सम्मान में वृद्धि	270	**45**
2	पूर्वस्थिति विद्यमान	210	**35**
3	आर्थिक स्थिति सुधरी	120	**20**
	योग	600	**100**

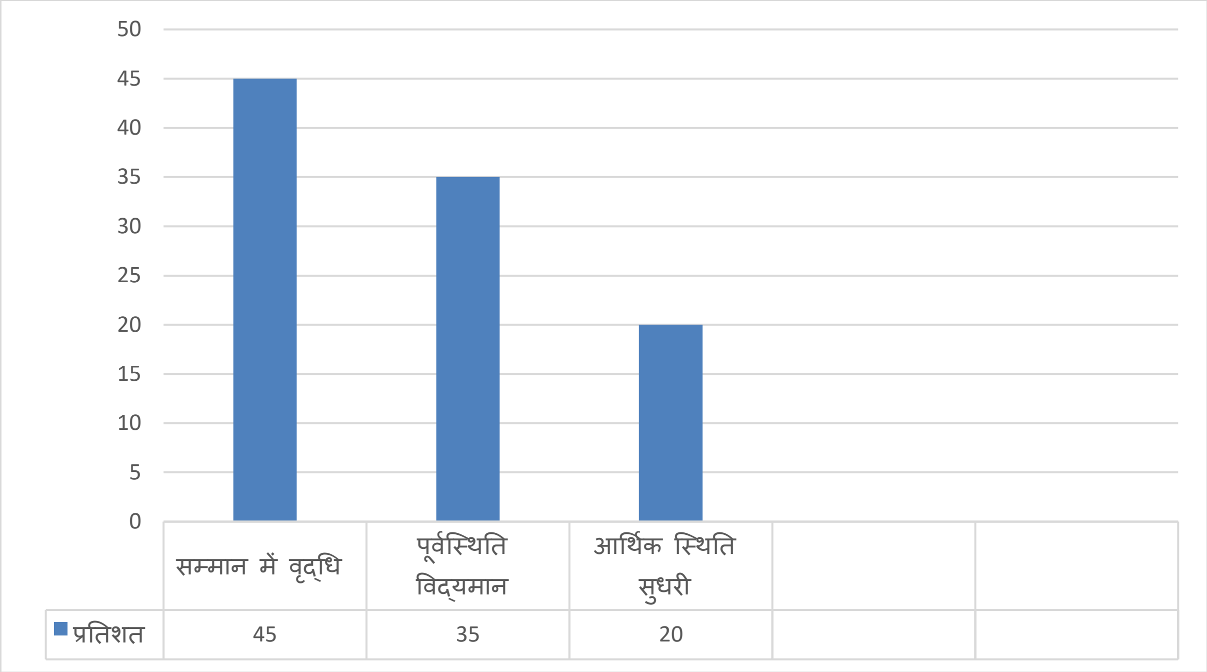

ग्राफ क्रमांक 7 : महिलाओं की प्रस्थिति पर प्रभाव

उपरोक्त ग्राफ से पता चलता है कि मनरेगा के क्रियान्वयन से महिलाओं की प्रस्थिति में पड़े प्रभाव के लिए 45 प्रतिशत ग्रामीणों का मानना है कि महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है। जबकि 35 प्रतिशत ग्रामीणों का मानना है कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, महिलाओं की प्रस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उनकी स्थिति पूर्ववत् बनी हुई है। आर्थिक स्थिति के बारे में 20 प्रतिशत ग्रामीणों का मानना है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है।

मनरेगा के क्रियान्वयन से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति पर पड़े प्रभाव का अध्ययन निम्न तालिका से किया जा सकता है–

तालिका क्रं. 8

आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

क्र.	तथ्य	लाभार्थी		गैर लाभार्थी	
		आवृत्ति	प्रतिषत	आवृत्ति	प्रतिषत

1	बीपीएल स्टेटस में कमी आई	12	4	18	6
2	क्रय शक्ति बढ़ी	162	54	120	40
3	आधुनिक संसाधनों का प्रयोग बढ़ा है।	105	35	108	36
4	बचत की प्रवृत्ति आयी है	21	7	54	18
	योग	**300**	**100**	**300**	**100**

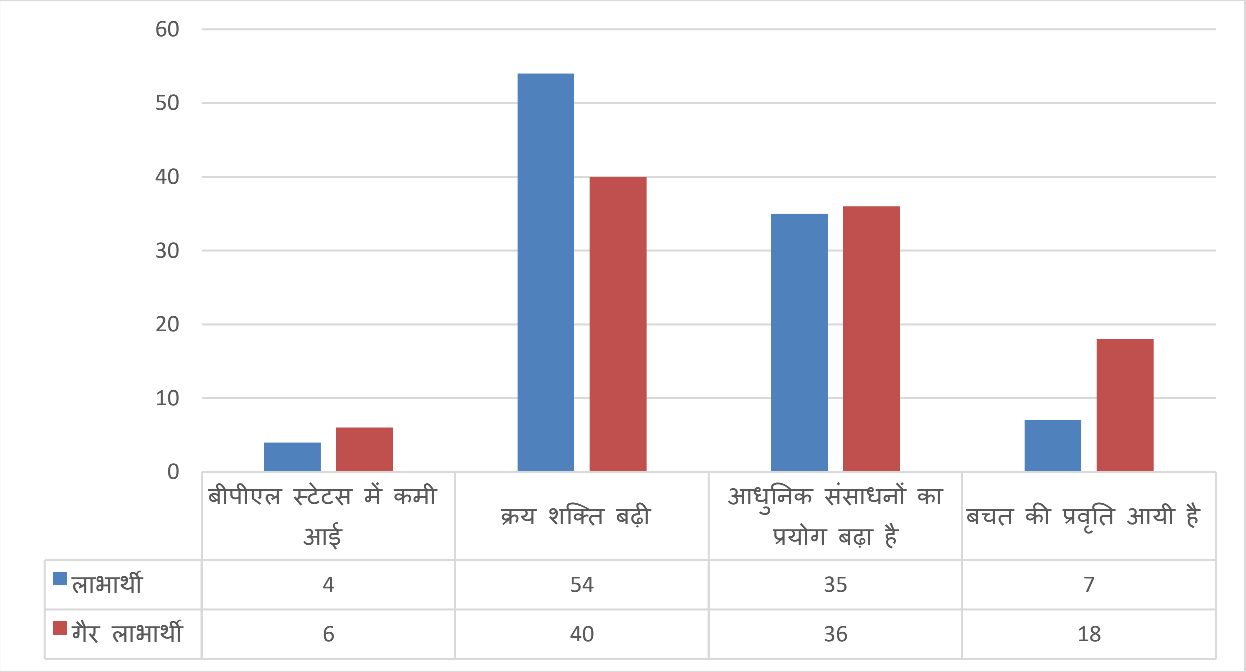

ग्राफ क्रं. 8 : आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

उपरोक्त ग्राफ के अध्ययन से पता चलता है कि 54 प्रतिशत लाभार्थी तथा 40 प्रतिशत गैर लाभार्थियों की मान्यता है कि मनरेगा के तहत प्राप्त रोजगार के कारण ग्रामीणों की क्रयशक्ति बढ़ी है। 35 प्रतिशत लाभार्थी एवं 36 प्रतिशत गैर लाभार्थी का मानना है कि इसी कारण वे आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर पा रहे है। 7 प्रतिशत लाभार्थी एवं 18 प्रतिशत गैर लाभार्थी कहते है कि मनरेगा से प्राप्त रोजगार एवं निश्चित मजदूरी दर से ही ग्रामीण गरीबों में भी बचत की प्रवृत्ति पनपी है। बीपीएल स्टेटस में आये परिवर्तनों का अध्ययन करने से पता चला है कि कोई खास

परिवर्तन नहीं हुआ है। 4 प्रतिशत लाभार्थी एवं 6 प्रतिशत गैर लाभार्थी ही स्वीकार कर रहे हैं कि बी०पी०एल० स्टेटस में परिवर्तन का एक कारण मनरेगा के तहत प्राप्त रोजगार है।

मनरेगा के तहत रोजगार के कार्यस्थल हेतु प्रावधान किया गया है कि रोजगार के इच्छुक व्यक्ति को उसके निवास स्थान से 5 किमी. की परिधि के अंदर ही रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए तो ऐसी परिस्थिति में यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस प्रावधान ने गामीणों को कितना प्रभावित किया।

तालिका क्रं. 9
कार्यस्थल की स्थिति का प्रभाव

क्र.	तथ्य	लाभार्थी		गैर लाभार्थी	
		आवृति	प्रतिषत	आवृत्ति	प्रतिषत
1	कार्यस्थल पास होने से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी	150	50	159	53
2	ग्रामीणों में पलायन में कमी	99	33	120	40
3	ग्रामीणों के पलायन में कोई प्रभाव नहीं पडा	51	17	21	7
	योग	300	**100**	**300**	**100**

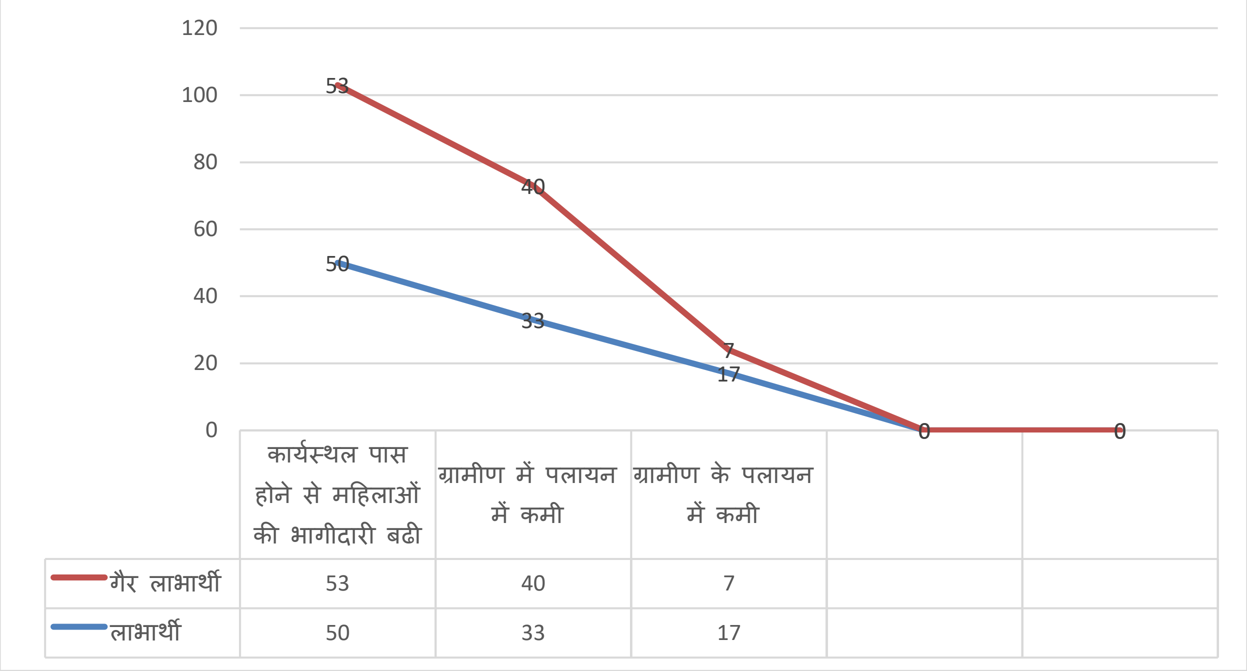

ग्राफ क्रमांक 9 कार्यस्थल की स्थिति का प्रभाव

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह तथ्य उजागर होता है कि मनरेगा के तहत निवास स्थान के समीप ही कार्यस्थल स्थित होने से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 50 प्रतिशत लाभार्थी तथा 53 प्रतिशत गैर लाभार्थियों का यही मानना है। 33 प्रतिशत लाभार्थी एवं 40 प्रतिशत गैर लाभार्थियों ने माना है कि ग्रामीणों का पलायन भी रूका है, जबकि 17 प्रतिशत लाभार्थी एवं 7 प्रतिशत गैर लाभार्थी का मानना है कि ग्रामीण पलायन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर मनरेगा द्वारा पड़ने वाले सम्पूर्ण प्रभाव का लाभ निम्न तालिका से समझा जा सकता है–

तालिका क्रं. 10

मनरेगा से प्राप्त लाभ का विवरण

क्र.	लाभ की प्रकृति	लाभार्थी		गैर लाभार्थी	
		आवृत्ति	प्रतिषत	आवृत्ति	प्रतिषत
1	गरीबी में कमी आयी	102	34	96	32
2	बेरोजगारी में कमी आयी	114	38	84	28
3	गाँव से पलायन में कमी हुई	60	20	39	13
4	सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन आया है।	12	04	42	14
5	कोई विषेष लाभ नहीं मिला	12	04	39	13
	योग	300	**100**	**300**	**100**

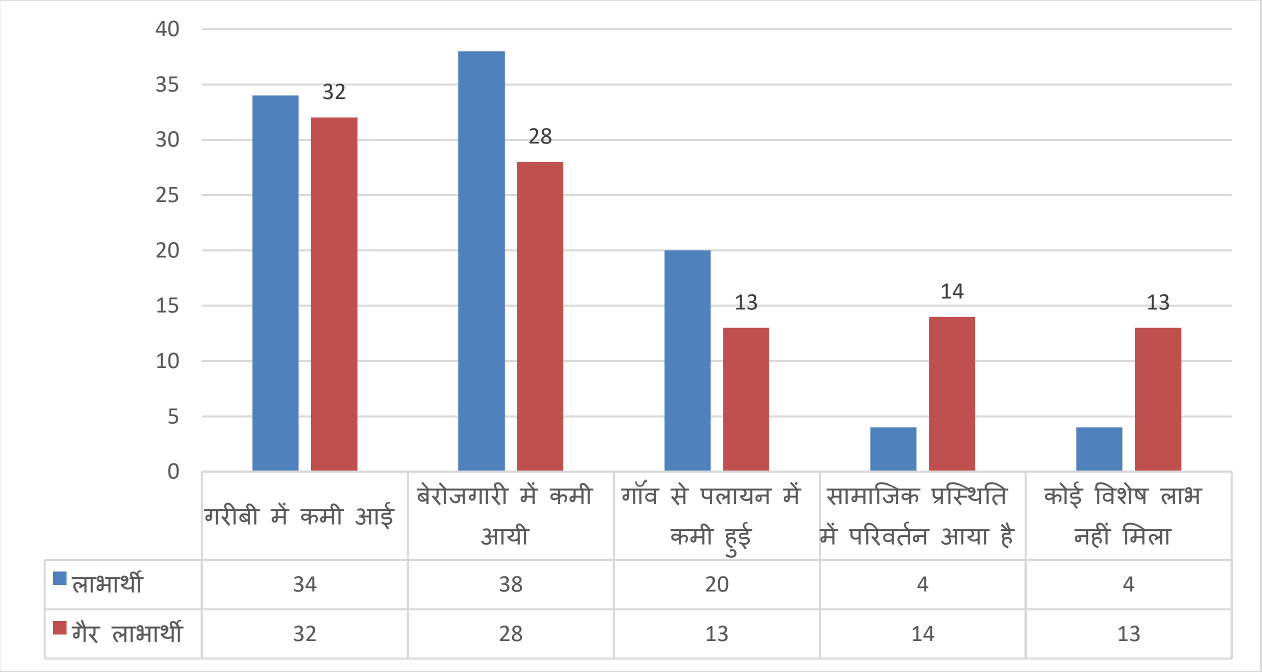

ग्राफ : क्रं. 10 : मनरेगा से प्राप्त लाभ का विवरण

उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ से पता चलता है कि मनरेगा के आरम्भ से आज तक सतना जिले में ग्रामीणों को काफी लाभ मिला है। 34 प्रतिषत लाभार्थी एवं 32 प्रतिषत गैर लाभार्थी ने माना है कि गरीबी में कमी आयी है, 38 प्रतिषत लाभार्थियों व 28 प्रतिषत गैरलाभार्थियों का मानना है कि बेरोजगारी में कमी आयी है। 20 प्रतिषत लाभार्थी वं 13 गैर लाभार्थी ने गाँव से पलायन में कमी की बात भी स्वीकारी है। मात्र 4 प्रतिषत लाभार्थी एवं 14 प्रतिषत गैर लाभार्थी ने माना है कि मनरेगा से ग्रामीण गरीबों की सामाजिक प्रस्थिति में प्रभाव पड़ा है। जबकि 4 प्रतिषत लाभार्थी एवं 12.8 प्रतिषत गैर लाभार्थियों का मानना है कि मनरेगा से ग्रामीणों को कोई विषेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

समग्र विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि सतना जिले में कोरोना पूर्व एवं कोरोना पश्चात मनरेगा के क्रियान्वयन से मनरेगा लाभार्थियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा है। मनरेगा लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है जिससे उनकी क्रयषक्ति बढ़ी तथा उसका प्रभाव ग्रमीणों की सामाजिक जीवन पर दिखाई देता है, जैसे– जाति व्यवस्था षिथिल हुई, संयुक्त परिवार बाल विवाह, बाल मजदूरी, आदि भी प्रभावित हुए महिला की प्रस्थति सुधरी । इस तरह हम देखते है कि मनरेगा ने अपने क्रियान्वयन के साथ ही अपना प्रभाव छोड़ना प्रारम्भ कर दिया है।

संदर्भ सूची

1 सेल्जनिक एण्ड बूम — प्रिन्सीपल ऑफ सोषियोलॉजी।

2 पंथ डी0 सी0 — भारत में ग्रामीण विकास, कालेज बुक, 2007।

3 ओझा सी0 एम0 — सामान्य, समाजषास्त्र एवं भारत में समाज दीप्ती प्रकाषन, इलाहाबाद, 2007।

4 गुप्ता, मोतीलाल — भारतीय समाज, राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकादमी पब्लिकेषन, जयपुर 2005।

5 Rozgar Guarantee Yojana Madhya Pradesh — Useful for Gram Sabha representatives, groups and members working for them, Samarthan, Centre for Development support, March 2006

6 http://www.nrega-mp.org/

7 http://nrega.nic.in/draft_guidelines.pdf

8 Madhya Pradesh Gramin Rozgar Yojana-Salient Features, Samarthan, Centre for Development Support, 2005

9 Ministry of rural development 2007. National rural Employment Gurantee Act 2005,

New Delhi, Ministry of Rural Employment.

10 Samvad, V. 2005, Status Report of MNREGA in Madhya Pradesh. Bhopal, India, State Advisor (Madhya Pradesh)